**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या– अपील/डिक्री/टीए/7305/2001/जैसलमेर**

1. श्रीमति रहिमाना बेवा
2. श्री गाजी पुत्र
3. श्री आचार्य पुत्र

– अमीन खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम देवड़ा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर, वर्तमान निवासीगण ग्राम भीयांड तहसील शिव जिला बाड़मेर।

**–अपीलार्थीगण/वादीगण**

**बनाम**

राजस्थान सरकार

**–प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

1. श्रीमति समेई पत्नी बरोच पुत्री अमीन खां जाति मुसलमान निवासी निवासी धनोडा तहसील बाडमेर।

**–तरतीबी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

**खण्ड पीठ**
**श्री सी.आर.मीणा, सदस्य**
**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री हनुमान प्रसाद, अति राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 1,
श्री दीपक पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 2

**निर्णय**

**दिनांकः–14–10–2022**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर जैसलमेर के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 के तहत ग्राम देवडा तहसील फतेहगढ स्थित विवादित आराजी खसरा 3342 रकबा 239 बीघा भूमि के क्रम में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार फतेहगढ ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करने के साथ ही कथित किया कि वादीगण का वाद मियाद बाहर है। अतः वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सहित 2 विवाद्यक कायम किए। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उक्त वाद की कार्यवाही में कायम किए गए दोनों विवाद्यकों को पृथक-पृथक रूप से विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 08-12-2000 से मय खर्चे के खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश में यह विवेचित किया कि वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है तथा आलोच्य वाद 23 वर्ष से देरी से प्रस्तुत किए जाने के क्रम में कारण नहीं बताया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर-जैसलमेर) मु. जोधपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने उक्त अपील में उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 31-8-2001 पारित कर आलोच्य अपील को खारिज कर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने

से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वाद के समर्थन में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश किए जिनके आधार पर विवादित आराजी पर उनके पूर्वजों का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। यही नहीं आराजी पर ढाणी व टांके बने हुए है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थीगण व उनके पूर्वज स्थाई बंदोबस्त के वक्त से भी पूर्व समरी बंदोबस्त से लगातार आराजी पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। उनका तर्क है कि मामले में संबंधित पटवारी को तलब किया गया जिसमें उन्होंने बयानों में बताया की कम्पेरेटीव रजिस्टर में समरी खसरा संख्या 332 से नए स्थाई बंदोबस्त में कौन से खसरा नम्बरान कायम किए गये है, इसका रजिस्टर में कोई इंन्द्राज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के मौखिक कथन ही मान्य है तथा मामले में कायम की गई तनकीयात को साबित करने का पर्याप्त आधार है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग को पुराने राजस्व इन्द्राज को दोहराने की अधिकारिता प्राप्त है तथा पुराने इन्द्राजात को परिवर्तित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत मामले में समरी खसरा संख्या 332 रकबा 230 बीघा बाबत जो इन्द्राज जमाबंदी में चले आ रहे है जिसको सिवायचक दर्ज कर अनियमितता की गई है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर मु. जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2001 एवं सहयक जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08–12–2012 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। उनका कहना है कि दौरान बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत आराजी पर वादीगगण का कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण खातेदारी प्राप्त नहीं हुई। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिसके आधार पर यह प्रदर्शित होता हो कि

स्थायी बंदोबस्त से लगातार आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि स्थाई बंदोबस्त की कार्यवाही में अपीलार्थीगण का आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण आराजी को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किया गया। उन्होनें कहा कि आक्षेपित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखने जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना कथित करते हुए आलोच्य अपील को सारहीन होना कहा है। उन्होंने मामले में राज्य पक्ष द्वारा की गई बहस का समर्थन किया है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व उपलब्ध रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं रेकार्ड के विधिक परीक्षण से स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रश्नगत आराजियात के क्रम में घोषणा का वाद राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया है। वादीगण ने अपने वाद में उद्धरत किया कि प्रश्नगत आराजियात पर वह उनके पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त चला आ रहा है तथा मौके पर टांका बना हुआ है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार यह स्पष्ट है कि सम्वत 2021 के खसरा की नकल के अनुसार वादीगण का आराजी कब्जाकाश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्वत 2051 से 2057 तक प्रस्तुत खसरा नकल के अनुसार भी वादीगण का आराजी पर कब्जाकाश्त सिद्ध नहीं होता है। नकल

तुलनात्मक रजिस्टर के अनुसार ग्राम देवड़ा की समरी खसरा संख्या 332 के आगे सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने यह नोट लगा रखा है कि मौके पर कोई खेत नहीं है। अर्थात बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान अमीन खां मौके पर काबिज नहीं था। उल्लेखनीय है कि समरी बंदोबस्त एक अन्दाजीया बंदोबस्त था, उस समय कोई जरीब नहीं चलाई जाती थी तथा काश्तकार के कथनों के अुनसार रकबा अन्दाजीया दर्ज कर दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने प्रश्नगत आराजियात की घोषणा के क्रम में लगभग 23 वर्षो की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अपना वाद पेश किया है तथा कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत समुचित व ठोस कारण अंकित नहीं किए गए है।

9. यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद की कार्यवाही में राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार फतेहगढ ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि विवादित खसरे पर वादीगण के पूर्वजों एवं वादी का कब्जाकाश्त नहीं रहा है एवं वर्तमान में भी वादीगण का कब्जाकाश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त वादीगण व उनके पूर्वजों का समरी बंदोबस्त अपना कब्जाकाश्त होना अधिनियम लागू होने से पूर्व तथा राजस्व रेकार्ड तैयार के समय नहीं रहा है तथा वादीगण व उनके पूर्वजों से भूमि का लगान वसूल नहीं किया गया। जवाबदावे में यह भी अंकन है कि बंदोबस्त की कार्यवाही में गैरकानूनी इन्दाजात नहीं किए गए है तथा मिसल बंदोबस्त व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में आराजी सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज है। जवाबदावे में आगे यह भी अंकन है कि ग्राम सोढात के खसरा संख्या 150-15 बीघा, 72 रकबा 57-05 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 150-09 बीघा सरकारी सिवायचक बारानी भूमि मिसल बंदोबस्त में दर्ज है एवं जमाबंदी में आराजी राजकीय भूमि दर्ज है तथा इन खसरों में वादीगण का कब्जाकाश्त नहीं है तथा टांका बना हुआ नहीं है। हमारे मतानुसार किसी आराजी की घोषणा बाबत विधायिका में स्पष्ट प्रावधित किया गया कि प्रथम दृष्टया आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त होना आवश्यक ही नहीं आज्ञापक है। हमारे समक्ष उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधायिका की भावना के अनुसार सम्यक परीक्षण करने पर यह न्यायालय वादीगण के

वाद में किसी प्रकार का कोई सार नहीं पाता है तथा मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय व डिक्री में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। तदनुसार ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गई द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज की जाती है। इसके साथ ही भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–8–2001 एवं सहायक जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–12–2000 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( रामनिवास जाट )**
**सदस्य**

**( सी.आर.मीणा )**
**सदस्य**